

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला - जशपुर (छ.ग.)

-::: आदेश :::-

क्रमांक / जि.शि.अधि. / विभागीय मान्यता / 2021-22 13746

जशपुर, दिनांक 23-03-2022

अशासकीय प्राथमिक / पूर्व माध्यमिक / हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी विद्यालय की पूर्व मान्यता आदेश में निहित निर्देशानुसार निम्नांकित शर्तों के आधार पर वर्ष 2022-23 तक के लिये अस्थाई विभागीय मान्यता / अनुमति दी जाती है। शर्तों की पूर्ति नहीं होने पर मान्यता किसी समय समाप्त की जा सकती है:-

क्र.	शाला का नाम	वि.खंड का नाम	मान्यता दी जानी वाली कक्षा	माध्यम
1.	जोगपाल पब्लिक स्कूल पत्थलगांव, विकासखण्ड-पत्थलगांव, जिला-जशपुर (छ.ग.)	पत्थलगांव	नर्सरी से कक्षा 8वीं तक मान्यता नवीनीकरण	अंग्रेजी

सामान्य शर्तें जिनके अधीन मान्यता दी जा रही हैं:-

- बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009 (एनेक्सर 1) और बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कानून 2009 (एनेक्सर 2) विद्यालय के लिए बंधनकारी होगा।
- संस्था वही अध्ययन पाठ्यक्रम रखेगी जो सूची प्राधिकरण द्वारा निर्धारित हो।
- विभाग द्वारा संस्था में किसी भी समय निरीक्षण किया जा सकेगा।
- प्रबंधक शिक्षकों की संख्या, समान तथा उपकरण आदि विभाग द्वारा अपेक्षित मान एवं मानकों के अनुसार रखेगें।
- अशासकीय संस्थाओं में प्राचार्यों एवं शिक्षकों को 62 वर्ष एवं लिपिक 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसी व्यक्ति को प्रथम बार नियुक्त न किया गया हो।
- प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था को विभाग द्वारा समय-समय पर जारी तथा लागू किये गये नियमों और विभागीय अधिकारियों द्वारा दिये आदेशों का पालन करना होगा।
- प्रत्येक कक्षा सेक्षण में 40 छात्र हों 15 से कम संख्या होने पर मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।
- प्राथमिक शाला में रुपये 10000/- पूर्व माध्यमिक शाला में 15000/- एवं हाई स्कूल हायर सेकेण्डरी शालाओं के लिये अक्षय निधि का नवीनीकरण (जिला शिक्षा अधिकारी एवं प्रधान पाठक / प्राचार्य के संयुक्त खाते में) रुपये 30000/- जमा होना आवश्यक है।
- मान्यता देने का अर्थ यह नहीं है कि शिक्षा विभाग शाला को अनुदान देने हेतु बाध्य होगा।

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला-जशपुर (छ.ग.)

जशपुर, दिनांक 23-03-22

पृ. क्रमांक / जि.शि.अधि. / विभागीय मान्यता / 2020-21 13747
प्रतिलिपि:-

- संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण सरगुजा संभाग अम्बिकापुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- कलेक्टर, जिला जशपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड-पत्थलगांव, जिला-जशपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- प्राचार्य / प्रधान पाठक, जोगपाल पब्लिक स्कूल पत्थलगांव, विकासखण्ड-पत्थलगांव, जिला-जशपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ व आदेश पालनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला-जशपुर (छ.ग.)